

कार्यालय नगर पालिका परिषद औरैया

पत्र क्र. - 1678 / न०पा०परि०नि०वि० / 2017.18

दिनांक 24 अक्टूबर 2017

ई निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद औरैया के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि 14वें वित्त अयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु प्राप्त अनुदान से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु दिनांक 30.10.2017 तक ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट etender.up.nic.in एवं npp.auraiya.in पर निर्धारित प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर राशि नगद नगर पालिका परिषद कैंस काउन्टर पर जमा कर / RTGS/NFET के माध्यम से नगर पालिका परिषद औरैया A/C.N0 1980300704(C.B.I.Auraiya) IFSCCode: CBIN0281879 भुगतान कर निविदाओं को दिनांक 30.10.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 31.10.2017 को 10.00 बजे से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद औरैया के कार्यालय में ठेकेदारों की उपस्थिति में खोली जायेगी। धरोहर राशि एफ०डी०आर० / RTGS/NFET के माध्यम से नगर पालिका परिषद औरैया के A/C.N0 1980300704(C.B.I.Auraiya) IFSCCode: CBIN0281879 में जमा आदि कराई जायेगी, एफ०डी०आर० की मूल प्रति दिनांक 30.10.2017 तक निविदा बाक्स में बन्द लिफाफों में डालनी होगी किन्हीं कारणवश उक्त तिथि में अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस माना जायेगा। निविदा सम्बन्धी नियम शर्त नगर पालिका कार्यालय में कार्य दिवस में अथवा निकाय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। किसी निविदा को कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद औरैया में निहित होगा।


क्र०स०	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि	धरोहर धनराशि 10प्रतिशत	निविदा प्रपत्र मूल्य (मय 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	निविदा श्रेणी
1.	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० आर्य नगर में गौरैया कच्चे तालाब पर बाउन्ड्रीवाल एवं प्रवेश द्वार का निर्माण।	12,39,000.00	1,24,000.00	1400.00+252.00	3- माह	A+B+C
2.	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० आर्य नगर में कच्चे गौरैया तालाब में बाकिंग पथ का निर्माण।	24,39,000.00	2,44,000.00	2500.00+450.00	3- माह	A+B
3	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० भीखमपुर पश्चिमी में राशिद के मकान से सरकारी संघ तक नाली एवं इन्टरलाकिंग का निर्माण।	5,86,400.00	59,000.00	600.00+108.00	3- माह	B+C
4	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० बदनपुर दक्षिणी में चढा टाकीज के सामने नवनिर्मित नुमाईश मैदान में आर०सी० कवर्ड नालें का निर्माण।	22,52,000.00	2,25,200.00	2300.00+414.00	3- माह	A+B
5	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० बनारसीदास पश्चिमी में इटावा रोड से टी०डी० इन्टरकालेज तक नाली एवं इन्टरलाकिंग का निर्माण।	24,83,000.00	2,48,500.00	2500.00+450.00	3- माह	A+B
6	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टैन्ड के सामने हयूम पाइप द्वारा कन्वर्ड का निर्माण।	3,97,000.00	39,700.00	400.00+72.00	3- माह	C+D
7	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० बदनपुर दक्षिणी में राधव दीक्षित के मकान से श्याम अग्निहोत्रि के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग का निर्माण।	5,81,000.00	58,100.00	600.00+108.00	3- माह	B+C
8	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० सत्तेश्वर पश्चिमी में शिवराम के मकान से अखलाक के मकान तक एवं श्री कान्त फौजी के मकान से निर्मय सिंह गुर्जर के मकान तक नीरज यादव के मकान से नीलेश के मकान तक एवं विक्रम सिंह के मकान से गौरी शंकर के मकान तक नाली एवं खरंजा का निर्माण।	13,71,800.00	1,37,500.00	1400.00+252.00	3- माह	B+C
9	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० तिलक नगर दक्षिणी में दीपू वाजपेई के मकान से अरुणापाल सिंह के मकान तक सडक सुधार एवं नाली का निर्माण।	11,73,000.00	1,17,500.00	12.00+216.00	3- माह	B+C
10	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० आर्य नगर में बरसईया मिल के सामने से श्री मुनुआ पाठक के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग का निर्माण।	2,54,200.00	24,500.00	300.00+54.00	2- माह	C+D
11	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० नरायनपुर उत्तरी में आर्देश इन्टर कालेज से अरविन्द अवस्थी के प्लॉट तक नाली एवं खरंजा का निर्माण।	3,95,000.00	39,500.00	400.00+72.00	2- माह	C+D
12	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० पढीनदरवाजा दक्षिणी में बाबूराम धनगर के मकान से करुणाशंकर तिवारी के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग का निर्माण।	2,83,200.00	28,500.00	300.00+54.00	2- माह	C+D
13	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० नरायनपुर उत्तरी में राजवीर पाल के मकान से अशोक पाल के मकान होते हुये विमल मिश्रा के मकान तक नाली एवं खरंजा का निर्माण।	3,87,000.00	38,700.00	400.00+72.00	2- माह	C+D
14	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० आर्यनगर में धीरू राजपूत के मकान से मुन्ना राजपूत के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग का निर्माण।	4,39,700.00	44,000.00	500.00+90.00	2- माह	C+D
15	14वें वित्त अयोग के अन्तर्गत मु० आर्य नगर में पक्का गौरैया तालाब पर क्रिया घर एवं कंट्रोम रूम का निर्माण।	6,35,000.00	63,500.00	700.00+126.00	3- माह	B+C

निविदा डालने हेतु शर्त निम्न प्रकार है।

- 1- टेन्डर सबसे कम रेट वाले टेन्डरदाता का स्वीकार किया जायेगा नगर पालिका परिषद औरैया को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी टेन्डरदाता का टेन्डर बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार कर सकती है भले ही उसके रेट कम हों।
- 2- टेन्डरदाता को टेन्डर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपना एग्रीमेन्ट सरकार द्वारा निश्चित स्टाम्प पर लिखकर देना होगा और टेन्डर नोटिस में दी गई जमानत धनराशि भी इकरार नामों के साथ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद औरैया के नाम बन्धक करायेगा।
- 3- ठेकेदार द्वारा स्टीमेंट के अनुसार समस्त कार्य एग्रीमेन्ट दाखिल करने के निर्धारित समय के अन्दर समाप्त करना होगा यदि कार्य की समाप्ति में कोई देवीय आपत्ति होगा तो अधिशासी अधिकारी / प्रशासक महोदय को अधिकार होगा कि वह कार्य की अवधि बढ़ा सकते हैं।
- 4- यदि टेन्डरदाता स्वीकृति की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर -2 जमानत की धनराशि व एग्रीमेन्ट दाखिल नहीं करेगा तो अधिशासी अधिकारी / प्रशासक को अधिकार होगा कि वह टेन्डरदाता का टेन्डर निरस्त कर सकते हैं और यदि उसमें कोई आग्रिम धनराशि जमा किया हों तो वह नगर पालिका कोष में जब्त कर सकते हैं नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173-क-के अधीन वसूल किया जायेगा।
- 5- यदि कार्य राजकीय अनुदान का होगा तो उसका भुगतान उन शासकीय अनुदेशों के अधीन किया जायेगा जिनका शासन ने उन शासकीय पत्र में अंकित किया है। जिसके अनुसार अनुदान दिया गया है।
- 6- अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद औरैया को अधिकार होगा, कि कार्य असन्तोषजनक रूप से अथवा स्टीमेंट के विपरीत हो रहा हो तो वह ठेकेदार को नोटिस देकर कार्य रूकवा सकते हैं यदि ठेकेदार कार्य को बन्द न करेगा तो अधिशासी अधिकारी/प्रशासक महोदय को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त कर सकता है और उसका भुगतान शेष होगा वह निकाय कोष में जब्त कर लिया जायेगा।

(Handwritten Signature)


- 7- यदि नगर पालिका परिषद औरैया चालू कार्य में कोई अन्य कार्य बढ़ायेगी तो उसका भुगतान यदि स्टीमेट में प्रविधान नहीं है तों लो0 नि0वि0 की प्र. विल दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा ।
- 8- यदि कार्य के निर्माण मे ऐसे समान की आवश्यकता पडती है जिसपर सरकार से प्रतिबन्ध कर रखा हो उसका प्रबन्ध ठेकेदार स्वयं करेगा निकाय की कोई जेम्मेवारी नहीं होगी ।
- 9- ठेकेदार की 5% जमानत धनराशि अन्तिम विल के भुगतान के 6 माह बाद दी जायेगी ।
- 10- नगर पालिका अधिनियम 1916 में निर्माण के सम्बन्ध में जो विधान अंकित है या समय -2 पर शासन पर शासन उनमें कोई संशोधन करेगा तो वह ठेकेदार पर लागू समझे जायेगा ।
- 11- यदि किसी मामले में कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय अधोहस्तकारी करेगे जिनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- 12- सशर्त कोई भी टेन्डर स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
- 13- निर्माण कार्य/विकास कार्यों के सम्बन्ध में समय -2 पर शासन द्वारा निर्गत आदेश /शर्त ठेकेदार/ फर्म को मान्य होगी ।
- 14- प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग -5 लखनऊ के पत्र सख्या 24 वी आई पी(1) नौ 5-2017 -120 बजट /2013 दिनांक 24-08-2017 के निर्देशनुसार -(2) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सडक को निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण /रख रखाव की जिम्मेवारी सम्बन्धित कन्ट्रैक्टर की होगी यह शर्त टेन्डर में अंकित की जायेगी परियोजना लागत 5 प्रतिशत धनराशि परफॉरमेन्स गारंटी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सडक के समुचित रख- रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी का पालन ठेकेदार कों प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 15- शासनादेश स0 609 /नौ -92007-249ज /06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में 5 लाख से अधिक निविदा के साथ 100-00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर स्वधोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- 16- विज्ञापन सामग्री में किसी भी प्रकार की लिपीकीय त्रुटि एवं तकनीक अथवा अन्य प्रकार से उल्लेख आलेख्य के लिये निकाय से सम्पर्क किया जा सकता है ।
- 17- ई- निविदा सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के संशोधन आदि के सम्बन्ध में समय -2 पर वेबसाइट etender.up.nic.in एवं npp auraiya.in पर देखा जा सकता है उसके लिये अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी ।


(प्रमोद कुमार)
लेखाकार
नगर पालिका परिषद
औरैया ।

1
(संजय कुमार)
अधिशायी अधिकारी/प्रशासक
नगर पालिका परिषद
औरैया ।

प्रतिलिपि--1- जिलाधिकारी महोदय औरैया की सेवा मे अवलोनार्थ प्रेषित ।

2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी औरैया की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद औरैया वेबसाइट w.w.w.auraiya.up.nic.in पर सूचना अपलोड करने का कष्ट करे ।


(संजय कुमार)
अधिशायी अधिकारी/प्रशासक
नगर पालिका परिषद
औरैया